

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 4013 / 12-1

, गोपेश्वर,

दिनांक

17/04

2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/19786/2016 राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 14.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में पायी गई कतिपय कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर का पत्र सं0 329/1सी0(वन) दिनांक 14.02.2018 एवं पत्रांक 586/1सी0(1) दिनांक 02.04.2018 से निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0 सं0	प्रस्ताव में लगे आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1.	In presepect of EDS point No. 1 FRA issued by commissioner was required to be submitted in original in hard copy as well as online. However on action has been taken on the point.	एफ0आर0ए0 निर्धारित प्रारूप में मूल में प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के साथ आपके पत्रांक 586/12-1 दिनांक 27.06.2017 द्वारा वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, पौड़ी को प्रेषित किया गया है संलग्न 1- पत्र एवं पत्र की प्राप्ति की छायाप्रति। पेज (2 एवं 3)
2.	In respons to Point No. 2 of EDS, village level proceedings of Gram Sabh Langasu has been uploved. Attendance of village langasu-Niwari, khet, Silangi have been found uploved but proceedings of VLC meetings of three villages are not found.	Proceeding of VLC of Langasu-Niwari, Khet, Silangi के प्रपत्र SI No. K at Part I. में अपलोड कर दिये गये हैं। संलग्न- लंगसू-निवाणी, खेत एवं सिलंगी के वी0एल0सी0 की मूल प्रति।
3.	Employment data has been corrected for point No. 3 of EDS.	पार्ट-1 के बिन्दु संख्या E में employment data संशोधित कर दिया गया है।
4.	For point No. 4 of the EDS., CA scheme still shows an estimate of Rs. 6,81,683/- which has not been corrected.	पार्ट II के Additional information Sr. no 03 में अपलोड कर दिया गया है।
5.	In respons to be point no. 7 of EDS, it is found that number of trees still shows as 230 online at Part II.	पार्ट II में 218 वृक्षों की सूची को सही कर भर दिया गया है।
6.	In response to EDS point No. 8, recommendations of DFO uploved st part 15 online does not mention whether the case has been recommended by DFO at SI No. 13 of part II document uploved.	पार्ट II. Sr. no- 16 के कॉलम सं0 5 में संस्तुति दी गयी है।

अतः आप उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर